REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062020-219927 CG-DL-E-13062020-219927

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1678] नई दिल्ली, शनिवार, जून 13, 2020/ज्येष्ठ 23, 1942 No. 1678] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 13, 2020/JYAISHTHA 23, 1942

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना का परिशिष्ट

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2020

**का.आ. 1881(अ).**—जबकि दिनांक 18 मई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 14 मई, 2020 का प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 1512(अ) द्वारा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने उक्त अधिसूचना की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार सत्ताईस कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक मसौदा आदेश जारी किया है।

जबकि, केंद्र सरकार द्वारा विचार हेतु पैंतालीस दिनों की उपर्युक्त अवधि समाप्ति से पहले उक्त मसौदा आदेश के संबंध में किसी भी व्यक्ति से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि, केंद्र सरकार ने विभिन्न कीटनाशक संघों और कंपनियों से प्राप्त किए गए प्रतिवेदनों जिसमें केवल निर्यात उद्देश्यों के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट कीटनाशकों के निर्माण की अनुमति, और आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने के लिए पैंतालीस दिन की अवधि का विस्तार नब्बे दिन करने के लिए आग्रह का संज्ञान लिया;

अब, इसलिए, कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 28 और धारा 36 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष रूप से उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, केंद्र सरकार निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

 दिनांक 14 मई 2020 का.आ. 1512(अ) के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि को नब्बे दिनों की अवधि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

- खंड 2 के उप-खंड 1 में एक परंतुक जोड़ दिया जाएगा कि "कोई भी पंजीकरणकर्ता उक्त अधिसूचना की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कीटनाशकों का निर्माण केवल निर्यात के प्रयोजनों के लिए कीटनाशक नियमावली, 1971 के नियम 6 के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पालन करेंगे। "
- 3. अन्य नियम और शर्तें 14 मई, 2020 की उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार अपरिवर्तित रहेंगी।

[फा. सं. 13035/15/2019-पीपी-I]

अतीश चन्द्रा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare) ADDENDUM TO NOTIFICATION

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th June, 2020

**S.O. 1881(E).**—Whereas vide notification number S.O. 1512(E) dated 14<sup>th</sup> May, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) on 18<sup>th</sup> May, 2020, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare issued a draft order to ban twenty seven insecticides as specified in the schedule to the said Notification.

Whereas, the objections or suggestions were invited from any person in respect of the said draft Order before the expiry of the aforesaid period of forty-five days for consideration by the Central Government;

And Whereas, the Central Government has considered the representations received from various pesticide associations and companies for allowing manufacture of insecticides as specified in the schedule to the said notification for export purposes only, and for extension of period for submission of objection and suggestion from forty five days to ninety days;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 read with section 28 and sub-section (1) of section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) and in partial modifications of the said notifications to the extent specifically provided herein, the Central Government hereby makes the following order, namely:-

- 1. The period of forty five days to be substituted by a period of ninety days from the date of publication of S.O. 1512(E) dated 14<sup>th</sup> May 2020.
- 2. A proviso to sub-clause 1 of clause 2 will be added that "Any registrant who requires to manufacture insecticides as specified in the schedule to the said notification for export purpose only, shall obtain certificate of registration under rule 6 of the Insecticides Rules, 1971 and adhere to such conditions as may be prescribed by the Central Government from time to time."
- 3. Other terms and conditions shall remain unchanged as per the aforesaid notification dated 14<sup>th</sup> May, 2020.

[F. No. 13035/15/2019-PP-I] ATISH CHANDRA, Jt. Secy.